-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़

मीरा तिवारी पुत्री राममूर्ति तिवारी हाल निवास टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 147/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2016, 27.06.2016, 19.07.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, आवेदिका की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आपत्ति आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा वर्तमान प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया है जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण निरस्त किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई न्यायदृष्टांतो में प्रतिपादित किया है कि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता किन्तु वर्तमान प्रकरण को अधिक समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण में लिया है और आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की दशा में उक्त तथ्य पर कोई विचार नहीं है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यहकि, इसी भूमि के संबंध मे द्वितीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 टीकमगढ़ जिला टीकमगढ के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में भी

XXXIX(a)BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3083–एक/16 **जिला – टीकमगढ़**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-11-2016	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश एवं उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदिका एवं एक अन्य रामप्यारी को वर्ष 1994 में नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम करमारई शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया था बाद में पट्टे पर प्राप्त भूमि से प्रश्नाधीन भूमि की अदला–बदली का आदेश वर्ष 1996 में कलेक्टर द्वारा दिया गया है । कलेक्टर द्वारा इन आदेशों को शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी में लिए जाने की कार्यवाही 15 वर्ष से अधिक समय उपरांत प्रारंभ की गई है । इस संबंध में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 डब्लू0एन0 नोट 26 एवं 2010 (4) MPLJ 178 अवलोकनीय हैं । न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 डब्लू0एन0 नोट 26 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है । भले ही, अचल संपत्ति शासकीय भूमि, हो अथवा उसमें कोई लोकहित,	

निग0- 3083-दो/16 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हो । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है । चूंकि इस प्रकरण में यह तथ्य भी आया है कि आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 26ए/15 भी प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में लंबित है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि व्यवहार न्यायालय से निर्णय होने तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को स्थगित रखा जाये क्योंकि व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा जो राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात कलेक्टर, टीकमगढ़ को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष लंबित प्रकरण कमांक 147/बी-121/12-13 में प्रचलित कार्यवाही व्यवहार न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक स्थगित रखें और मौके पर यथास्थिति बनाए रखें । व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय हो उस अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जाये । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	